निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0,लखनऊ।

03-10-17

पत्र सं0 c-1609/बा0वि0परि0/मो0वा0अ0/2017-18 दिनांक- ~~सितम्बर~~,17

समस्त ज़िला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः-राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम।

उर्पयुक्त विषयक संयुक्त सचिव,वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-बी-3-819(2)/दस-2017-20(12)/17-मो0वा0 दिनांक-28,अगस्त, 2017 द्वारा राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय करने हेतु रू0-3,00,000.00 (रू0-तीन लाख मात्र) का धनावंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त धनावंटन से कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जाना है। स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिम पर ब्याज की दर अनन्तिम रूप से 14 प्रतिशत तथा मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/आटो साईकिल अग्रिम पर 11.5 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा किन्तु नियमित रूप से ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर 2.5 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मोटर वाहन क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत के इच्छुक कर्मचारियों के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन,औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपनी संस्तुति के साथ 15 दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे इच्छुक कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय अग्रिम की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जा सके।

(विश्वजीत कुमार दास)
अपर निदेशक(वित्त)